

कार्यालय कलेक्टर जिला -भोपाल म.प्र.

क्रमांक 146 /भू-अर्जन / 2019

भोपाल,दिनांक 19 / 9 / 2019

**:: आदेश ::**

क्रमांक 146 .भू-अर्जन / 2019 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत मध्यप्रदेश रोड डेव्लवमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की परियोजना भोपाल इन्दौर-6 एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे एवं पश्चिम दक्षिण वाईपास ग्रीनफील्ड के निर्माण के लिए जिला भोपाल के अनुविभाग स्थित भूमि के अर्जन की कार्यवाही हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हुजूर के प्रस्ताव के आधार पर अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानो के अनुसार संलग्न प्रारूप-क मे वर्णित उपखंड स्तरीय समिति का गठन किया जाता है। गठित समिति शीघ्र अतिशीघ्र सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण करने की कार्यवाही पूर्ण करेगी।

RP  
कलेक्टर

§ जिला - भोपाल

भोपाल,दिनांक 19 / 9 / 2019

पृ.क्रमांक 147 /भू-अर्जन / 2019  
प्रतिलिपि,

- 1- उप महाप्रबंधक (बीओटी) मध्यप्रदेश सडक विकास निगम भोपाल की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सडक विकास निगम भोपाल की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- जिला जनसंपर्क अधिकारी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- सर्वसम्बन्धित .....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

RP  
कलेक्टर

जिला - भोपाल

§

कार्यालय कलेक्टर, जिला-भोपाल (म0प्र0)

प्रारूप-क  
( नियम 4 एवं 7.1 देखिए )

राज्य सरकार, प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम/वार्ड स्तर पर, यथास्थिति, संबंधित पंचायत/नगर पालिका/नगर पालिक निगम के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाही है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| (1) | परियोजना का विकासक का नाम  | मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,<br>45-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)-462011  |
| (2) | भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन                                      | भोपाल-इंदौर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे<br>निर्माण कार्य।   |
| (3) | अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक<br>समाघात निर्धारण दल के विवरण |   |
| (क) | गैर सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक   | (1) श्री एम.पी. अवरथी अध्यक्ष साई विकलांग एवं<br>अनाथ सेवा आश्रम बैरागढ़ भोपाल 9200253540<br>(2) श्रीमति संगीता नैल्लोर, अध्यक्ष नैल्लोर शिक्षा<br>समिति 9754659871 |
| (ख) | यथास्थिति संबंधित  | (1)-नगर निगम/नगर पालिका के प्रतिनिधि<br>(2)- ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के प्रतिनिधि  |
| (ग) | पुनर्व्यवस्थापन के दो विशेषज्ञ -   | (1) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) हुजूर जिला<br>भोपाल<br>(2) संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार/नायब<br>तहसीलदार  |
| (घ) | तकनीकी विशेषज्ञ (कंसलटेंट) -   | (1) मुन्ना कुमार, मेसर्स फीडबैक इन्फ्रा गुरुग्राम   |
| (ङ) | अध्यक्ष -  | (1) श्री राजकुमार खत्री, अनुविभागीय अधिकारी<br>(राजस्व) तहसील हुजूर जिला भोपाल  |
| (4) | भूमि के विवरण  | भोपाल   |
| (क) | जिला   | हुजूर   |
| (ख) | तहसील  | पचामा, शोभापुर जाहेज, गोल, कालापानी,<br>महाबड़िया, बोरदा, बाबलीखेड़ा, समसगढ़,<br>समसपुरा, अमरपुरा, आंवला एवं बड़झिरी  |
| (ग) | ग्राम  | रकबा 233.817 हेक्टेयर   |
| (घ) | कुल प्रभावित क्षेत्र   |   |
| (ङ) | अर्जित होने वाला क्षेत्र   |   |
| (5) | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण                                   | भोपाल-इंदौर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे   |
| (6) | परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र                                     | जिला रायसेन मण्डीदीप के ग्राम इटायकलॉ से<br>प्रारंभ होकर देवास जिले के ग्राम कर्नावद तक<br>(लंबाई 146.88 कि.मी.)  |
| (7) | क्या ग्राम संभाओं और /या भूमिधारकों की<br>सहमति अपेक्षित है              | आवश्यकता नहीं।  |
| (8) | सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की<br>तारीख                       | 25/09/2019  |

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
तहसील हुजूर जिला भोपाल

कलेक्टर

जिला भोपाल

**COLLECTOR**  
**Bhopal**